न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 13.09.2024

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 93/2023
निर्णय दिनांकः 13.09.2025
दायरा दिनांकः 05.06.2025
जीसीएमएस संख्या– 2025/211

1. गीता पुत्री नेमीचन्द पत्नी रामचन्द जाति जांगिड़ निवासी ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
2. जशोदा सुथार पुत्री नेमीचन्द पत्नी मनोज सुथार जाति जांगिड़ निवासी ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................प्रार्थिनीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

1. प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिशु एवं अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश घोटिया।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थिनीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी में तहसील सुज़ानगढ़ के रोही आबसर के खाता संख्या 232 खसरा नम्बर 339 तादादी 8.1433 है0, ख0नं0 33 तादादी 6.6512 है0 व ख9नं9 384 तादादी 5.3109 है0 स्थित है। प्रार्थिनी संख्या 1 का नाम उपर्युक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सरीता पुत्री नेमीचन्द जाति जांगिड़ निवासी आबसर व प्रार्थिनी संख्या 2 का नाम यशोदा पुत्री नेमीचन्द जाति जांगिड़ निवासी आबसर अंकित है। जबकि प्रार्थिनी संख्या 1 का नाम गीता पुत्री नेमीचन्द दर्ज होना चाहिए एवं प्रार्थिनी संख्या 2 का नाम जसोदा सुथार पुत्री नेमीचन्द दर्ज होना चाहिए। आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में भी प्रार्थिनीगण का सही नाम उपरोक्तानुसार ही अंकित है।

प्रार्थिनीगणका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थिनीगणको सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थिनीगणकी खातेदारी भूमि में प्रार्थिनीगणका नाम दुरस्त करवाना प्रार्थिनीगणके लिए आवश्यक है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर

निवेदन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिनीगण के दस्तावेजों में नाम गीता पुत्री नेमीचन्द व जसोदा पुत्री नेमीचन्द ही अंकित है। यसोदा व जसोदा तथा सरीता व गीता दोनों एक ही है अलग अलग नहीं है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थिनीगणका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गीता पुत्री नेमीचन्द व जसोदा पुत्री नेमीचन्द किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जन आधार कार्ड, आधार कार्ड आदि में भी प्रार्थिनीगणका नाम क्रमशः गीता एवं जसोदा सुथार ही अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थिनीगण का प्रार्थना–पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत भूमि वाके रोही ग्राम आबसर के खाता संख्या 232 खसरा नम्बर 339 तादादी 8.1433 है0, ख0नं0 33 तादादी 6. 6512 है0 व ख9नं9 384 तादादी 5.3109 है0 में दर्ज खातेदार यशोदा पुत्री नेमीचन्द के स्थान पर जसोदा पुत्री नेमीचन्द व सरीता पुत्री नेमीचन्द के स्थान पर गीता पुत्री नेमीचन्द दर्ज किया जावे। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 13.09.2025 को टंकित राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाया जाकर में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़